We the Research Organization will do provide help for the following works listed below.

Support for Arts, Commerce & Science all Disciplines

- Research Paper Publication
- Book Chapters for Publications
- ISBN Publications Supports
- M.Phil Dissertations Publish
- Ph.D. Thesis in Book Format
- ISSN Journals with Impact Factor (7.675)
- Online Book Publication
- Seminar Special Issues
- Conference Proceedings

Aadhar International Publication

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Mobile : 9595560278 /

B.Aadhar Peer Reviewed & Refereed Indexed Research Journal September -2021 ISSUE No-317

Impact Factor-7.675 (SJIF) ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

ISSUE No- (CCCXVI) 317

September -2021

National E-Conference on

Socio-Religious and Political Movements in the Pre-independence Period and Today

Chief Editor
Dr. [illegible] Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
[illegible] Amravati

Executive-Editor
Dr. Nilima D. Deshmukh
Principal
Sahakar Maharshi Late Bhaskarrao
Shingne Arts College,
Khamgaon, Dist. Buldana

Executive-Editor
Dr. J. B. Devhade
Principal
Late Pushpadevi Patil Art's and Science
College, Risod, Dist.Washim

Editors
Dr.Shrihari pitale
Assist.prof.& HOD Department of History
Late Pushpadevi Patil Art's and Science
College Risod Dist.Washim

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)

www.aadharsocial.com

Hut. Jayantrao Patil Mahavidyalaya
Himayatnagar Tq. Himayatnagar Dist. Nanded

राष्ट्र निर्माण में महिला सशक्तिकरण एक अध्ययन

डॉ. शिवाजी नागोबा भदरगे
सहायक प्राध्यापक एवं हिंदी विभाग प्रमुख, हुतात्मा जयवंतराव पाटील महाविद्यालय,
हिमायतनगर, जिला नांदेड़ महाराष्ट्र 431802
मो. 9923062340, ई-मेल: shivajib1429@gmail.com

प्रस्तावना:आज महिला सशक्तिकरण काविचार विमर्श करतेसमयमेंमाना गया है कि नारी शक्ति कठी पूजाकीजाता है।लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती हैं।राष्ट्र के विकास में महिलाओं का महत्त्व और अधिकार के बारे में समाज में जागरुकता लाने के लिये मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आदि जैसे कई सारे कार्यक्रमोसाथ ही साथसमाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरुरी है, जैसे – दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय।अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। जहाँ महिलाएँ अपने परिवार के साथ ही बाहरी समाज के भी बुरे बर्ताव से पीड़ित है।नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले लेनेका अधिकार मिलपाएं।

अर्थ: महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। ताकि उन्हें रोजगार, शिक्षा, आर्थिक तरक्की के बराबरी के मौके मिल सके, जिससे वह सामाजिक स्वतंत्रता और तरक्की प्राप्त कर सके। यह वह तरीका है, जिसके द्वारा महिलाएँ भी पुरुषों की तरह अपनी हर आकंक्षाओं को पूरा कर सके।आसान शब्दों में महिला सशक्तिकरण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाओं में उस शक्ति का प्रवाह होता है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वंय ले सकती हैं और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है।

आवश्यकता: भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल के अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफ़ी कमी आयी। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

(i) आज भारतीय महिलाएँ पुरुषोंकेसाथकई सारे राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रही हैं।

(ii) भारत के ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षाशहरी महिलाएँअधिक रोजगारशील है, शहरों में साफ्टवेयर इंडस्ट्री में लगभग 30 % महिलाएँ कार्य करती है, वही ग्रामोंमें लगभग 90% महिलाएँ कृषि और इससे जुड़े कामऔर मजदूरी करती है।

(iv) हमारा देश मेंजब हम लैंगिग असमानता को दूर करकेमहिलाओं के लिए भी पुरुषों के बराबर समान शिक्षा, तरक्की और भुगतान सुनिश्चित कर सके।

(v) भविष्य मेंमहिलाओं को मजबूत किएबगैर हमारा देश विकसितनहीं हो पायेगा।

(vi) महिलाओंको सशक्तके लिए सामाजिक सांस्कृतिक पारिवारिक बंधनों को तोड़कर महिलाओं को मुफ्त में स्वतंत्र व्यवहार शिक्षा आर्थिक से लेने का अधिकार देना आवश्यक है।

Scanned with ACE Scanner

(vi) लैंगिक असमानताको दूर करकीजाने वाली हिंसा कोऔर परिवारिक और समाजठिक भेदभाव उन्हें मुक्तकर देना चाहिएं।

(viii) भारतीय समाज में महिलाओंहरतरहका को सम्मानमिलना चाहिए।

(ix) पुरुष प्रधान समाज द्वारामहिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक अधिकार कीआजादीदेनेकीआवश्यकता है।

(x)अनेकवर्षों से महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक अत्याचारकेविरोध में संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं।उमेसभीकासहयोग मिलेगा चाहिए!

(xi) आजमहिलाओं के अधिकार को लेकर कहींस्वयं-सेवी संस्था और एनजीओ आदि इस दिशा में कार्य कर रहे है।यह एक सकारात्मक सोच है।

(xii)आजकी महिलाऐं अपने अधिकारों को पाने के लिये सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है।

आनेवाली बाधाऐं: भारतीय समाजमेंकुछ पुरानी मान्यताऐं और परम्पराऐं ऐसी भी हैं जो भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए बाधा सिद्ध होती हैं। वेनिम्नांकित हैं –

(i) पुराने जमाने में महिलाओं को घर छोड़ने पर पाबंदी होती थी।आजहरक्षेत्र नें महिलाओं को शिकनेकाअधिकारऔर रोजगार के लिए घर से वाहर जाने के लिए आजादी दींजाती है।

(ii) पुरानी और रुढ़ीवादीहोनेके कारण महिलाऐं खुद को पुरुषों से कम समझने लगती हैं और अपने वर्तमान सामाजिक और आर्थिक दशा को बदलने में नाकाम सावित होती हैं।

(iii) अनेकनीजी क्षेत्र जैसे कि सेवा उद्योग, साफ्टवेयर उद्योग, शैक्षिक संस्थाएं और अस्पताल इस समस्या से सवसे ज्यादा महिलाएंउत्पीड़नसेप्रभावित होतीहैं।

(iv) कहींकार्यस्थलों में महिलाओं के साथ लैंगिग स्तर पर काफी भेदभाव किया जाता है। इसके साथ ही उन्हें आजादीपूर्वक कार्य करने या परिवार से जुड़े फैसले लेने की भी आजादी नही होती है और उन्हें सदैव हर कार्य में पुरुषों के अपेक्षा कम ही माना जाता है।

(v) संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों के तरह समान अनुभव और योग्यता होने के बावजूद पुरुषों के अपेक्षा कम भुगतान किया जाता है।

(vii) महिलाओं में अशिक्षा और बीच में पढ़ाई छोड़नेकीस्थितिशहरी क्षेत्रों में लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के बराबर हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस मामले वह काफी पीछे हैं।

(Viii) भारत में महिला शिक्षा दर 64.6 प्रतिशत है, जवकि पुरुषों की शिक्षा दर 80.9 प्रतिशत है। काफी सारी ग्रामीण लड़कियाँ जो स्कूल जाती भी हैं, उनकी पढ़ाई भी वीच में ही छूट जाती है और वह दसवीं कक्षा भी नही पास कर पाती हैं।

(ix)भारत में बाल विवाह 2018 में यूनिसेफ के एक रिपोर्ट द्वारा पता चलता है, कि भारत में अब भी हर वर्ष लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले ही कर दी जाती है, जल्द शादी हो जाने के कारण महिलाओं का विकास रुक जाता है और वह शारीरिक तथा मानसिक रुप से व्यस्क नही हो पाती हैं।

(x) भारतीय महिलाओं के विरुद्ध कई सारे घरेलू हिंसाएं शहरी क्षेत्रों की महिलाऐं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के अपेक्षा अपराधिक हमलों की अधिक शिकार होती हैं।(xi) कामकाजी महिलाऐं भी देर रात में अपनी सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नही करती है। सही मायनों में महिला सशक्तिकरण की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और पुरुषों के तरह वह भी बिना भय के स्वच्छंद रुप से कही भी आ जा सकें।

(xii) कन्या भ्रूणहत्या या फिर लिंग के आधार पर गर्भपात, भारत में महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। कन्या भ्रूणहत्या केप्रति जागरूकता अभियान आवश्यक है।

सरकार की भूमिका:भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की कई सारी योजनाऐं रोजगार, कृषि और स्वास्थ्य जैसी चीजों से सम्बंधित होती हैं। इन योजनाओं का गठन भारतीय महिलाओं के परिस्थिति को देखते हुए किया गया है ताकि समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इनमें से कुछ मुख्य योजनाऐं मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, जननी सुरक्षा योजना (मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए चलायी जाने वाली योजना) आदि हैं।जिसमेंबेटीबचाओबेटीपढ़ाओ:महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँहै।यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अंतर्गत लड़कियों के बेहतरी के लिए योजना बनाकर और उन्हें आर्थिक सहायता देकर उनके परिवार में फैली भ्रांति लड़की एक बोझ है की सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है।महिलाहेल्पलाइनयोजना: के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे इमरजेंसी सहायता सेवा प्रदान की जाती है, महिलाऐं अपने विरुद्ध होने वाली किसी तरह की भी हिंसा या अपराध की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित नंबर पर कर सकती हैं। इस योजना के तरत पूरे देश भर में 181 नंबर को डायल करके महिलाऐं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।उज्वलायोजना: इसके अंतर्गत महिलाओं को तस्करी और यौन शोषण से बचाने के लिए शुरु की गई है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत उनके पुनर्वास और कल्याण के लिए भी कार्य किया जाता है।सपोर्टटूट्रेनिंगएंडएम्प्लॉयमेंटप्रोग्रामफॉरवूमेन (स्टेप):इसके अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके या फिर वह स्वंय का रोजगार शुरु कर सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे क्षेत्रों के कार्य जैसे कि कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन आदि के विषयों में महिलाओं को शिक्षित किया जाता है।महिलाशक्तिकेंद्र: केअंतर्गतसमुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवर व्यक्तियों जैसे सामुदायिक स्वयंसेवक ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते है।पंचायातीराजयोजनाकामहिलाआरक्षण:2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की, सरकार के इस कार्य के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया। जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ ही दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाऐं ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई।

कुछअधिनियम: कानूनी अधिकार के साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए संसद द्वारा भी कुछ अधिनियम पास किए गए हैं। वे अधिनियम निम्नलिखित हैं- (i)अनैतिकव्यापार(रोकथाम)अधिनियम1956, (ii)दहेजरोकअधिनियम1961, (iii) एक बराबर पारिश्रमिक एक्ट 1976, (iv) मेडिकल टर्म्नेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987, (v) लिंग परीक्षण तकनीक एक्ट1994, (vi) बाल विवाह रोकथाम एक्ट 2006, (vii) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 2013

महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका: बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजंग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती हैं। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है। महिलाऐं हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज में बदलाव और महिला सम्मान के लिए अपने अन्दर के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ऐसी ही एक मिसाल बनी सहारनपुर की अतिया साबरी। अतिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया।तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जवलगेकर के भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ा। हमारे देश में ऐसे कई उदहारण है जो

Scanned with ACE Scanner

महिला सशक्तिकरण का पर्याय बन रही है।आज देश में नारी शक्ति को सभी दृष्टि से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज देश की महिलाएँ जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिला ने उस सोच को बदल दिया है कि वह घर और परिवार की ही जिम्मदारी को बेहतर निभा सकती है।आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिला कर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएँ अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं।

लाभ: महिला सशक्तिकरण के बिना वह सदियों पुरानी परम्पराओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती। बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर अधिकार पा सकेमहिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए।(i) महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरु किया है।. (ii) महिलाएँ अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं।. (iii) महिलाएँ अपने हक के लिए लड़ने लगी हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं।(iv) पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनके हक भी उन्हें दे रहे हैं।. (v) पुरुष अब महिलाओं के फैसलों की इज्जत करने लगे हैं। कहा भी जाता है कि ,हक माँगने से नही मिलता छीनना पड़ता है और औरतों ने अपने हक अपनी काबिलियत से और एक जुट होकर मर्दों से हासिल कर लिए हैं।महिला अधिकारों और समानता का अवसर पाने में महिला सशक्तिकरण ही अहम भूमिका निभा सकती है। क्योंकि स्त्री सशक्तिकरण महिलाओं को सिर्फ गुजारे-भत्ते के लिए ही तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें अपने अंदर नारी चेतना को जगाने और सामाजिक अत्याचारों से मुक्ति पाने का माहौल भी तैयारी करती है।

सारांश: जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो समाज की पितृसत्तामक और पुरुष युक्त व्यवस्था है। यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाए।भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हो, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा, और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य और सामाजिक आजादी में अभी भी और सहयोग की आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति उसके महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर करती है।महिला सशक्तिकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करता है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद सम्भावनाओं की सदी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जागृत और सक्रीय हो चुकी है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है "नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।" वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

संदर्भसूची:

1. Anusvaar (अनुस्वार) Definition, Use, Rules, Examples
2. Arth vichaar in Hindi (अर्थ विचार), Meaning, Definition, Types, Example
3. Adverb in Hindi – क्रिया विशेषण हिंदी में, Definition, Types, Position
4) Noun in Hindi (संज्ञा की परिभाषा), Definition, Meaning, Types, Examples
5. Proverbs in Hindi, Definition, Format, मुहावरे और लोकोक्तियाँ
6. Singular and Plural in Hindi (वचन) – List, Definition, Types, Example
7. Tenses in Hindi (काल), Hindi Grammer Tense, Definition, Types, Examples

Scanned with ACE Scanner